(1)

2018/00020
18/07/18
OK

न्यायालय यशवन्त भाकर, आरएएस, कलक्टर एवं उपायुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

(1) अपील संख्या : 19/2018

1	रामप्रताप	पुत्रगण श्री लालूराम जाति विश्नोई निवासीगण राणासर चक 3 पीबीएम–ए तहसील कोलायत जिला बीकानेर
2	रामस्वरूप	
3	रतिराम	
4	मनोहर	

---अपीलांटगण

बनाम

राजस्थान सरकार -----रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थिति अभिभाषक :–

1. श्री रणजीतसिंह अपीलांट की ओर से
2. पेरोकार राज श्री हरिराम डूडी अति0सहा0आयुक्त उपनिवेशन (प्रशासन), बीकानेर

–: निर्णय :–

दिनांक :– 31–1–2019

यह अपील अपीलार्थीगण द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अधीन उपनिवेशन तहसीलदार, गजनेर मु0 कोलायत की आज्ञा दिनांक 28.5.18 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 4.7.18 को प्रस्तुत की गई।

(2) संक्षेप में अपील प्रार्थना पत्र के आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलांटगण के कब्जा काश्त में चक 3 पीबीएम–ए के मु0नं0 154/48 के कि.नं. 6, 7, 13 ता 19, 21 ता 25, मुरब्बा नं0 155/33 के किला नं0 5 ता 7 व मु0नं0 155/41 के किला नं0 1 ता 5, 8 ता 10 कुल तादादी 25 बीघा कमाण्ड भूमि चली आ रही हैं। जिसके नियमन हेतु अधीनस्थ आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन (प्रथम) बीकानेर के समक्ष जैरकार हैं। जिसमें दिनांक 7.11.17 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय पारित कर नियमन की कार्यवाही का निस्तारण 3 माह अवधि मे किये जाने हेतु आदेश फरमायें गये हैं। जिसके निर्णय की प्रति शामिल अपील मीमों की गई हैं।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को आराजी जैर बहस का नाजायज काश्त का नोटिस दिया गया जिस पर अपीलांटगण द्वारा जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के निर्णय के अनुसार स्थगन आदेश जैरकार हैं। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश की अवहेलना करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भारी विधिक भूल की हैं। अतः आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून न्याय होने से

निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपील धारा 5 मियाद के तहत अन्दर मियाद (2) पूर्ण कोर्ट फीस पर प्रस्तुत हैं। लिहाजा अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन हैं कि अपीलांट अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावें।

(3) इस अपील प्रार्थना पत्र के रेस्पोडेन्ट को नोटिस भिजवाया गया। अपीलार्थीगण की ओर से श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अपने अभिभाषक पत्र दाखिल किये व राज्य की ओर से श्री हरिराम डूडी पैरोकारराज उपस्थित आये।

उभयपक्ष बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा फार्म नं0 3 में दस्तावेजात की छायाप्रतियां प्रस्तुत की।

वकील अपीलांट दौराने बहस बताया गया कि अपीलांटगण का प्रकरण माननीय आवंटन अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन प्रथम बीकानेर के समक्ष विचाराधीन हैं तथा माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 7.11.17 के निर्णय की प्रति पेश की। जिसमें यह निर्देश हैं कि विवादित भूमि के नियमन हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर रखा हैं जिस पर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत जांच कर निर्णय किया जाना शेष है किन्तु 2 वर्ष बैठक आयोजित नही की जा रही हैं ऐसी स्थिति मे न्यायहित मे विचारण न्यायालय को यह निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि वे आवंटन सलाहकार समिति की बैठक 3 माह मे आवश्यक रूप से आयोजित कर प्रार्थी व अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण विधिक रूप से करे तथा 3 माह तक विवादित भूमि के मौका व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाई जावें। पैरोकारराज द्वारा यह एतराज किया गया अपील बाद मियाद पेश की गई हैं जो निरस्त योग्य हैं।

(4) हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया साथ ही बहस पर मनन किया। निश्चित तौर पर अपील उपनिवेशन तहसीलदार गजनेर मु0 कोलायत की आज्ञा के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 28–5–2018 को प्रस्तुत की गई है जो काफी देरीना है क्योंकि प्रथम अपील प्रस्तुत करने की मियाद कानून में 30 दिवस निर्धारित की हुई है लेकिन अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रणजीतसिंह अधीनस्थ न्यायालय की तारीख पेशी 16–03–2018 तक उपस्थित आए हैं। इसके पश्चातवर्ती तारीख पेशियों में अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डरशीट के अनुसार अपीलान्टगण का उपस्थित होना विदित नहीं है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्टगण के द्वारा प्रस्तुत जवाब में आवंटन सलाहकार समिति का गठन तथा उनकी पत्रावली में कोई निर्णय नहीं होना वर्णित किया है। उक्त जवाब का उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 28–05–2018 में किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने

अपने निर्णय में स्थगन आदेश की अवधि तीन माह व्यतीत होने पर तथा अप्रार्थीगण द्वारा किसी न्यायालय का स्थगन आदेश या आवंटन आदेश आदि प्रस्तुत नहीं किये जाने का भी उल्लेख किया गया जिसके कारण धारा 22 की कार्रवाई स्थगित रखी जावे या निरस्त की जावे। ऐसी स्थिति में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण कर बेदखली के आदेश व तावान आदि आरोपित किये गये है।

चूंकि माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के द्वारा विषयक प्रकरण में मौके एवं रिकार्ड की स्थिति तीन माह तक यथावत रखते हुए आवंटन सलाहकार समिति की बैठक के माध्यम से प्रार्थी व अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण विधिक रूप से करने हेतु निर्देशित किया गया था।"

उक्त प्रकरण में तीन माह का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी मा0 मण्डल के निर्देशानुसार आवंटन सलाहकार समिति की बैठक होने या नहीं होने बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है तथा विषयक प्रकरण मा0 मण्डल, अजमेर के निर्देशानुसार तहसीलदार द्वारा सक्षम आवंटन अधिकारी को आवंटन सलाहकार समिति में रखने हेतु प्रेषित किया अथवा नहीं, का उल्लेख अपने न्यायालय की आदेशिका में वर्णित नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाकर हुई देरी को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में आवंटन सलाहकार समिति की बैठक में निस्तारण हेतु माननीय मण्डल, अजमेर के निर्देशों की पालना विधिक रूप से नहीं हुई है।अपील अपीलान्टान स्वीकार की जाती है। अब प्रकरण इस आशय के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विषयक प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर के निर्णय दिनांक 07–11–2017 की पालना की जावे तथा तहसीलदार उपनिवेशन गजनेर मु0 कोलायत के निर्णय दिनांक 28.5.18 को आवंटन सलाहाकार की बैठक मे निर्णय होने तक स्थगित रखा जावे ।

(5) आदेश आज दिनांक 31–01–2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(यशवन्त भाकर)
कलक्टर एवं
उपायुक्त उपनिवेशन
बीकानेर